



2026:AHC: 165235-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1608/1990

उमराव सिंह और अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता	: अशोक कुमार निगम, भरत सिंह, दिव्य ज्योति पांडे, प्रदीप कुमार पाल, आर.यू. रंकी रेनू, रंजीत कुमार यादव
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

24.07.2026 को सुरक्षित

07.08.2026 को पारित

न्यायालय संख्या- 44

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

द्वारा : न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. यह आपराधिक अपील दिनांक 20 अगस्त, 1990 के उस निर्णय और दण्डादेश के विरुद्ध योजित किया है, जो सत्र परीक्षण संख्या 57/1988 में पारित किया गया था, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण अर्थात्; उमराव सिंह, वेद पाल, ऋषि पाल, खूब चन्द्र, बुद्धि सिंह को धारा 148, 307/149 तथा 302/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया तथा दो वर्ष के कठोर कारावास (धारा 148 भा.द.सं.), पाँच वर्ष के कठोर कारावास (धारा 307/149 भा.द.सं.) तथा आजीवन कारावास (धारा 302/149 भा.द.सं.) से दण्डित किया गया। अपीलार्थी, ओम पाल सिंह को धारा 148, 307/149 तथा धारा 302 भा.द.सं. के अन्तर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया, अन्तिम धारा सारवान रूप से, क्योंकि उस पर यह अभिकथन था कि उसने घातक गोली चलाई

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



थी, और उसे दो वर्ष के कठोर कारावास (धारा 148 भा.द.सं.), पाँच वर्ष के कठोर कारावास (धारा 307/149 भा.द.सं.) तथा आजीवन कारावास (धारा 302 भा.द.सं.) से दण्डित किया गया। अपीलार्थी, बिन्नामी को धारा 147, 307/149 तथा 302/149 भा.द.सं. के अन्तर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया तथा एक वर्ष के कठोर कारावास (धारा 147 भा.द.सं.), पाँच वर्ष के कठोर कारावास (धारा 307/149 भा.द.सं.) तथा आजीवन कारावास (धारा 302/149 भा.द.सं.) से दण्डित किया गया। समस्त दण्डादेशों को समवर्ती रूप से चलाने का निर्देश दिया गया।

2. अपीलार्थीगण विचारण के दौरान जमानत पर थे और निर्णय के समय भी जमानत पर बने रहे।

3. अपील की लम्बितता के दौरान अपीलार्थीगण अर्थात् अपीलार्थी सं. 1 उमराव सिंह पुत्र रूप सिंह, अपीलार्थी सं. 3 खूब चन्द्र उर्फ खूब चन्दी पुत्र भूप सिंह तथा अपीलार्थी सं. 5 बुद्धि सिंह पुत्र खूब चन्दी की मृत्यु हो गई और उनके सम्बन्ध में अपील उपशमित हो गई। यह अपीलार्थी सं. 2 वेद पाल, अपीलार्थी सं. 4 ऋषि पाल, अपीलार्थी सं. 6 ओम पाल सिंह पुत्र उमराव सिंह तथा अपीलार्थी सं. 7 बिन्नामी सिंह पुत्र खूब चन्दी के सम्बन्ध में जीवित है।

4. सूचनादाता प्रेम पाल सिंह पुत्र दफेदार सिंह द्वारा दिए गए लिखित रिपोर्ट (तहरीर) पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 101-ए/1987, थाना पटवई, जनपद रामपुर में दिनांक 6 जुलाई, 1987 को सायं 7:15 बजे धारा 147, 148, 149, 307 तथा 302 भा.द.सं. के अन्तर्गत सात व्यक्तियों उमराव सिंह पुत्र राम सिंह; ओम पाल सिंह पुत्र उमराव सिंह; वेदपाल सिंह पुत्र उमराव सिंह; ऋषिपाल सिंह पुत्र उमराव सिंह; खूब चन्द सिंह पुत्र भूप सिंह; और बुद्धू सिंह पुत्र खूब चन्द सिंह तथा बिन्नामी सिंह पुत्र खूब चन्द सिंह, समस्त निवासीगण ग्राम मैयानागला, थाना पटवई के विरुद्ध पंजीकृत की गई।

5. लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) के अनुसार, ग्राम सभा की एक भूमि पूर्व में सूचनादाता को आवंटित की गई थी, जिसका कब्जा लेखपाल द्वारा पुलिस सहायता से उसे दिलाया गया था और तब से वह उस पर कृषिगत कब्जे में बना हुआ था।

6. दिनांक 6 जुलाई, 1987 को लगभग 6:00 बजे प्रातः, सूचक, उसके भाई धरमपाल सिंह और कुमार पाल सिंह ट्रैक्टर तथा हैरो से खेत जोतने गए। लटूरी सिंह अपने स्वयं के निकटवर्ती खेत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



में जुताई कर रहा था। सूचनादाता का भतीजा बन्टू उर्फ जितेन्द्र खेत में भोजन लेकर आया; भोजन के पश्चात् दल अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी पीने लगा, जहाँ लटूरी सिंह पानी पीने आने के बाद उनके साथ आ बैठा।

7. लगभग 8:00 बजे, अभियुक्तगण निम्नलिखित हथियारों से लैस होकर घटनास्थल पर पहुँचे: उमराव सिंह टाबल के साथ, ओम पाल सिंह बन्दूक के साथ, वेदपाल सिंह देशी तमंचे के साथ, ऋषिपाल सिंह बल्लम के साथ, खूबचन्द सिंह बल्लम के साथ, बुद्धू सिंह देशी तमंचे के साथ, तथा बिन्नामी सिंह लाठी के साथ। उन्होंने सूचनादाता के दल को गाली दी और विवादित भूमि पर उनकी कृषि पर आपत्ति की। उमराव सिंह द्वारा मार डालने के लिए उकसाए जाने पर, ओम पाल सिंह ने बन्टू उर्फ जितेन्द्र पर मार डालने के आशय से गोली चलाई; वेदपाल सिंह ने लटूरी सिंह पर गोली चलाई; तथा बुद्धू सिंह द्वारा चलाई गई गोली दुर्घटनावश ओम पाल सिंह को जा लगी। शेष अभियुक्तगण ने सूचनादाता के दल के सदस्यों पर अपने-अपने हथियारों से हमला कर चोटें पहुँचाईं; यह भी अभिकथित किया गया कि कुछ अभियुक्तगण को हमले के दौरान अपने ही पक्ष के हथियारों से चोटें आईं।

8. हल्ला मचने पर, सुखपाल सिंह (पुत्र लटूरी सिंह), जयपाल सिंह पुत्र सरूपी सिंह तथा कुमारपाल सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह घटनास्थल पर पहुँचे, घटना को देखा और हस्तक्षेप किया। बन्टू उर्फ जितेन्द्र की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घायलों को अशोक सिंह पुत्र नत्थू सिंह, सत्यपाल सिंह पुत्र नन्नू सिंह तथा चन्द्रपाल सिंह पुत्र मुरली सिंह द्वारा जिला चिकित्सालय, रामपुर ले जाया गया। इस अस्पताल में भर्ती कराए जाने के कारण सूचनादाता तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सका, और तदनुसार लिखित रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, रामपुर को प्रस्तुत की गई, जिन्होंने इसे पंजीकरण हेतु थाना पटवई को अग्रेषित किया।

9. लिखित रिपोर्ट (तहरीर) प्रदर्श क-1 है और चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क-8 है। सम्बन्धित जनरल डायरी प्रविष्टि भी अभिलेख पर सिद्ध की गई है।

10. प्रथम सूचना रिपोर्ट विचारण में दिए गए मौखिक साक्ष्य के मूल्यांकन हेतु एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, क्योंकि इसका शीघ्र दर्ज कराया जाना अपराध, अपराधियों, प्रयुक्त हथियारों तथा उपस्थित चश्मदीद गवाहों का प्रारम्भिक विवरण सुरक्षित करता है। एफ.आई.आर. दर्ज कराने में विलम्ब

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रायः पश्च-चिन्तन से उत्पन्न अलंकरण का परिणाम होता है और इसे संतोषजनक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए (*थुलिया काली बनाम तमिलनाडु राज्य, (1972) 3 एस.सी.सी. 393*)। इसी प्रकार, धारा 157 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एफ.आई.आर. को मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाने में अत्यधिक अथवा अस्पष्टीकृत विलम्ब रिपोर्ट के पूर्व-तिथिक होने की संभावना पर विचार करने हेतु एक सुसंगत परिस्थिति है (*मेहराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1994) 5 एस.सी.सी. 188*)। क्या यहाँ दिया गया स्पष्टीकरण—कि सूचनादाता का दल घायलों को अस्पताल पहुँचाने में व्यस्त था—प्रातः 8:00 बजे की घटना और सायं 7:15 बजे रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बीच के अन्तराल को संतोषजनक रूप से स्पष्ट करता है अथवा नहीं, यह सम्पूर्ण साक्ष्य के आलोक में विचारणीय विषय है।

11. विवेचना एस.आई./एस.ओ. के.सी. लवानिया, थाना पटवई द्वारा प्रारम्भ किया गया, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक के अग्रेषण पत्र (प्रदर्श क-7) सहित रिपोर्ट प्राप्त की। चिक एफ.आई.आर. (प्रदर्श क-8) कांस्टेबल क्लर्क होरी लाल द्वारा तैयार की गई। विवेचक दिनांक 7 जुलाई, 1987 को घटनास्थल पर गया तथा मृतक बन्टू उर्फ जितेन्द्र के शव का पंचायतनामा (प्रदर्श क-9) तैयार किया। चालान नाश, फोटो नाश, नमूना मोहर, राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट, तथा मुख्य चिकित्साधिकारी को लिखा गया पत्र भी तैयार किए गए और प्रदर्श क-10 से क-14 के रूप में सिद्ध किए गए हैं।

12. उसने साक्षियों के कथन अभिलिखित किए, घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा नक्शा नज़री (प्रदर्श क-15) तैयार किया तथा घटनास्थल से रक्तरंजित एवं सादी मिट्टी को बरामदगी फर्द (प्रदर्श क-16) के अन्तर्गत कब्जे में लिया। उसने उस खेत से सम्बन्धित राजस्व अभिलेख (प्रदर्श क-17 तथा क-18) कब्जे में लिए जहाँ घटना घटित हुई थी, तथा धरमपाल, कुमार पाल सिंह और लटूरी सिंह के रक्तरंजित वस्त्र एक अन्य बरामदगी फर्द (प्रदर्श क-19) के अन्तर्गत कब्जे में लिया। विवेचना पूर्ण होने पर, उसने आरोप-पत्र (प्रदर्श क-20) प्रस्तुत किया।

13. पी.डब्लू.-5 डॉ. आर.के. खन्ना, जो उस समय मेडिकल ऑफिसर, आर्थोपेडिक विभाग, जिला चिकित्सालय, रामपुर के पद पर तैनात थे, ने दिनांक 7 जुलाई, 1987 को दोपहर 1:15 बजे मृतक बन्टू उर्फ जितेन्द्र पुत्र धरमपाल, निवासी ग्राम मैयानागला, थाना पटवई, आयु लगभग 14 वर्ष, के शव का शव-परीक्षण किया। शव थाना पटवई के एस.ओ. द्वारा कांस्टेबल उमा शंकर तथा होम

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गार्ड लालमन के साथ सीलबन्द अवस्था में भेजा गया था और सील खोले जाने से पूर्व कांस्टेबल उमा शंकर द्वारा उसकी शिनाख्त की गई। ऊपरी तथा निचले दोनों अंगों से रिगर-मॉर्टिस (मृत्यु पश्चात अकड़न) आ चुका था, जो यह इंगित करता था कि मृत्यु शव-परीक्षण से लगभग सवा दिन पूर्व हुई थी; पोस्टमार्टम धब्बे कमर तथा कूल्हों के नीचे उपस्थित थे।

14. बाह्य परीक्षण पर, छाती के बायीं ओर तथा उदर पर, बायीं कक्षा से 10 से.मी. नीचे, लगभग 11 x 6 से.मी. के क्षेत्र में, बिना कालिमा, टैटूइंग अथवा झुलसन के, प्रत्येक लगभग 0.2 x 0.2 से.मी. के अनेक छर्छे के प्रवेश घावों से युक्त एक बन्दूक की गोली का घाव पाया गया। विच्छेदन पर फेफड़ों में चोट पाई गई; वक्ष गुहा तथा आँत से चौदह छर्छे बरामद किए गए तथा दसवीं और बारहवीं पसलियाँ फ्रैक्चर पाई गई। आन्तरिक परीक्षण में पेट में लगभग 150 ग्राम अर्द्ध-पचा भोजन पाया गया। मृत्यु का कारण छाती और उदर पर हुई मरणोपरान्त-पूर्व बन्दूक की गोली की चोट से आघात तथा रक्तस्राव अभिलिखित किया गया। शव-परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) में चिकित्सक की यह राय अभिलिखित है कि यह चोट दिनांक 6 जुलाई, 1987 को लगभग प्रातः 8:00 बजे देशी तमंचे से लग सकती थी तथा यह सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।

15. घायल लटूरी सिंह, कुमार पाल सिंह, धरमपाल सिंह तथा सूचनादाता प्रेम पाल सिंह की चिकित्सीय जाँच उसी दिन जिला चिकित्सालय, रामपुर में डॉ. बी.आर. जायसवाल द्वारा की गई, जिनका परीक्षण पी.डब्लू.-7 के रूप में किया गया।

(i) घायल लटूरी सिंह की परीक्षा प्रातः 10:45 बजे की गई (प्रदर्श क-3):-

क्र.सं.	विवरण	स्थान	संभावित हथियार	चोट की अवधि
1	अग्नयास्त्र चोट, लगभग 25 x 10 से.मी. के क्षेत्र में; कुछ घावों के चारों ओर कालिमा किन्तु झुलसन नहीं; ताज़ा रक्तस्राव; अंग की गति सीमित; निरीक्षणाधीन रखा गया, एक्स-रे की सलाह दी गई।	बायीं भुजा, कोहनी के नीचे से अग्रबाहु के ऊपरी तिहाई भाग तक।	अग्नयास्त्र (बन्दूक/देशी तमंचा)।	ताज़ा – उसी दिन प्रातः 8:00 बजे संभव।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2	खरोंच, 1 x 0.6 से.मी.	बायीं ओर, छाती के निचले बाहरी भाग में, निचली पसली से 4 से.मी. ऊपर।	ठोस कुन्द वस्तु (यथा लाठी)।	ताज़ा – उसी दिन प्रातः 8:00 बजे संभव।
---	-----------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------

(ii) घायल कुँवर पाल सिंह (कुमार पाल सिंह) की परीक्षा प्रातः 10:55 बजे की गई (प्रदर्श क-4):-

क्र.सं.	विवरण	स्थान	संभावित हथियार	चोट की अवधि
1	विदीर्ण घाव, 4 x 0.5 से.मी., पेशी-गहरा।	सिर का दायाँ भाग, दायीं भौंह से 5 से.मी. ऊपर।	कुन्द वस्तु (हथियार का बट सिरा)।	ताज़ा – उसी दिन प्रातः 8:00 बजे संभव।
2	विदीर्ण घाव, 5 x 0.5 से.मी., पेशी-गहरा।	सिर का बायाँ भाग, बाएँ कान से 8 से.मी. ऊपर।	कुन्द वस्तु (हथियार का बट सिरा)।	ताज़ा – उसी दिन प्रातः 8:00 बजे संभव।
3	विदीर्ण घाव, 3 x 1.5 से.मी., पेशी-गहरा।	सिर के पिछले भाग में, दायीं ओर, दाएँ कान से 9 से.मी. ऊपर।	कुन्द वस्तु (हथियार का बट सिरा)।	ताज़ा – उसी दिन प्रातः 8:00 बजे संभव।
4	अनियमित घाव, 0.8 x 0.6 से.मी., गहराई मापनीय नहीं; घाव के नीचे सर्जिकल एम्फिसीमा जो अन्तर्निहित फेफड़े की चोट को इंगित करता है।	छाती का निचला दायाँ भाग, दायीं चूचक (nipple) से 8.5 से.मी. नीचे, 7 बजे की स्थिति पर।	तीक्ष्ण अणिदार हथियार (यथा बल्लम)।	ताज़ा – उसी दिन प्रातः 8:00 बजे संभव।

(iii) घायल धरमपाल सिंह की परीक्षा प्रातः 11:05 बजे की गई (प्रदर्श क-5):-

क्र.सं.	विवरण	स्थान	संभावित हथियार	चोट की अवधि
---------	-------	-------	----------------	-------------

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



1	अनियमित घाव, 1.5 x 0.8 से.मी., गहराई मापनीय नहीं; ताज़ा रक्तस्राव; निरीक्षणाधीन रखा गया, एक्स-रे की सलाह दी गई।	छाती, बाईं चूचक से 3.5 से.मी. बाहर, 2 बजे की स्थिति पर।	तीक्ष्ण अणिदार हथियार।	ताज़ा – उसी दिन प्रातः 8:00 बजे के तुरन्त बाद संभव।
---	---	---	------------------------	---

(iv) घायल प्रेम पाल सिंह (सूचनादाता), आयु लगभग 30 वर्ष, की परीक्षा प्रातः 11:20 बजे की गई (प्रदर्श क-6):-

क्र.सं.	विवरण	स्थान	संभावित हथियार	चोट की अवधि
1	छिन्न घाव, 3 x 0.3 से.मी., पेशी-गहरा; ताज़ा रक्तस्राव।	सिर का बायाँ भाग, बाएँ कान से 4 से.मी. ऊपर।	धारदार हथियार (यथा तलवार)।	ताज़ा – उसी दिन प्रातः 8:00 बजे संभव।
2	विदीर्ण घाव, 0.8 x 0.5 से.मी., पेशी-गहरा।	घाव सं. 1 से 1 से.मी. ऊपर।	कुन्द वस्तु (बट सिरा)।	ताज़ा – उसी दिन प्रातः 8:00 बजे संभव।
3	विदीर्ण घाव, 2 x 0.5 से.मी., पेशी-गहरा।	बायीं जाँघ का अगला भाग, घुटने के जोड़ से 18 से.मी. ऊपर।	कुन्द वस्तु (बट सिरा)।	ताज़ा – उसी दिन प्रातः 8:00 बजे संभव।

16. दिनांक 04.08.1989 को, तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर ने अभियुक्तगण के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित किए, जिन्हें अभियुक्तगण ने अस्वीकार करते हुए विचारण का दावा किया:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(i) धारा 148 भा.द.सं. - उमराव सिंह, वेद पाल, ऋषि पाल सिंह, खूब चन्द्र उर्फ खूब चन्दी, बुद्धि सिंह तथा ओम पाल सिंह के विरुद्ध।

(ii) धारा 147 भा.द.सं. - बिन्नामी सिंह के विरुद्ध।

(iii) धारा 307 सहपठित धारा 149 भा.द.सं. - समस्त अभियुक्तगण के विरुद्ध।

(iv) धारा 302 सहपठित धारा 149 भा.द.सं. - उमराव सिंह, वेदपाल सिंह, ऋषिपाल सिंह, खूबचन्द, बुद्धि सिंह तथा बिन्नामी सिंह के विरुद्ध।

(v) धारा 302 भा.द.सं. (सारवान रूप से) ओम पाल सिंह के विरुद्ध, चूँकि उस पर घातक गोली चलाने का अभिकथन था।

17. अभियुक्तगण सम्पूर्ण विचारण के दौरान जमानत पर रहे। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में सात साक्षियों का परीक्षण कराया।

18. पी.डब्लू.-1, प्रेम पाल सिंह (सूचनादाता) ने मुख्य परीक्षा में अपनी लिखित रिपोर्ट (तहरीर) में उल्लिखित तथ्यों की पुनः पुष्टि की। स्वयं एक घायल साक्षी होने के नाते, उसने प्रति-परीक्षा में यह अभिकथित किया कि वह, घायल लटूरी सिंह तथा अन्य लोगों के साथ, खेत जोतने के पश्चात् दिनांक 6 जुलाई, 1987 को लगभग प्रातः 8:00 बजे अमरुद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था, जब अभियुक्तगण आए, उन्हें गाली दी और अपने-अपने हथियारों से उन पर आक्रमण किया। उसके साक्ष्य से यह इंगित होता है कि आक्रमण अकारण था, चूँकि सूचनादाता का दल सरकार द्वारा उन्हें आवंटित भूमि, जिसका कब्जा पुलिस सहायता से प्राप्त किया गया था, पर ही जुताई कर रहा था।

19. पी.डब्लू.-2, कुँवर पाल सिंह (कुमार पाल सिंह), तथ्य का एक अन्य साक्षी, जो स्वयं घटना में घायल हुआ था, ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है।

20. पी.डब्लू.-3, सुखपाल सिंह पुत्र घायल लटूरी सिंह, जो हल्ला मचने पर घटनास्थल पर पहुँचा, घटना का साक्षी बना, तथा बाद में घायलों को अपने वाहन से अस्पताल ले गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



21. पी.डब्ल्यू-4, डॉ. जी.के. जैन, रेडियोलॉजिस्ट, जिन्होंने घायल लटूरी सिंह की एक्स-रे रिपोर्ट सिद्ध की, जिसे प्रदर्श क-2 के रूप में चिन्हित किया गया, जिसमें बाएँ कोहनी तथा भुजा में धात्विक घनत्व की अनेक रेडियो-अपारदर्शी वस्तुएँ अभिलिखित हैं। [प्रदर्श संख्या क-2, पी.डब्ल्यू-7 डॉ. आर.के. खन्ना द्वारा तैयार शव-परीक्षण रिपोर्ट को भी आवंटित की गई है। शव-परीक्षण रिपोर्ट को दिए गए प्रदर्श क-2 की संख्या को लेकर किसी भ्रम से बचने के लिए, अब उस प्रदर्श क-2 को प्रदर्श क2-ए के रूप में सन्दर्भित किया जाएगा।]

22. किसी भी चश्मदीद गवाह ने यह नहीं कहा कि बिन्नामी सिंह ने अपने द्वारा ले जाए जाने का अभिकथित लाठी का प्रयोग किया, तथा किसी भी घायल के शरीर पर कोई ठोकर/खरोंच नहीं पाई गई, समस्त चोटें अग्नेयास्त्रों अथवा धारदार हथियारों से कारित होना पाई गई। यद्यपि बिन्नामी सिंह की घटनास्थल पर उपस्थिति स्वीकार की जा सकती है, किन्तु उसके हमले में भाग लेने के साक्ष्य के अभाव में, यह नहीं दर्शाया गया है कि उसने शेष अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय साझा किया।

23. यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण ने यह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि उमराव सिंह द्वारा संस्थित एक प्रति-वाद लम्बित था, न ही तथ्य के किसी साक्षी अथवा विवेचक का ध्यान प्रति-परीक्षा में इस परिस्थिति की ओर आकर्षित किया गया। प्रश्नगत भूमि सूचनादाता को आवंटित थी और अभियुक्तगण ने अपने तथा लटूरी सिंह के बीच किसी शत्रुता को नहीं दर्शाया है, जिसने बिना किसी कथित मिथ्या फँसाने के कारण के अभियुक्तगण का नाम अपने कथन में लिया है।

24. जहाँ कोई पक्ष किसी साक्षी को खण्डित करने अथवा बदनाम करने के लिए किसी तथ्य अथवा पूर्व कथन पर निर्भर करने का आशय रखता है, वहाँ साक्षी का ध्यान सर्वप्रथम प्रति-परीक्षा में उस ओर आकर्षित किया जाना चाहिए, ताकि उसे स्वीकार करने, अस्वीकार करने अथवा स्पष्ट करने का अवसर प्राप्त हो, इससे पूर्व कि उस सामग्री का प्रयोग उसके विरुद्ध अथवा प्रतिरक्षा के समर्थन में किया जा सके—यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 की एक आधारभूत अपेक्षा है **(तहसीलदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 1012)**। चूँकि अभियोजन के किसी भी साक्षी को, न ही विवेचक को, उमराव सिंह द्वारा संस्थित कथित प्रति-मामले की लम्बितता से सामना नहीं कराया गया, अतः यह परिस्थिति अभियुक्तगण की सहायतार्थ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वह आधार नहीं रखा गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



25. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पी.डब्ल्यू.-3 सुखपाल सिंह पुत्र घायल लटूरी सिंह की परीक्षा कराई गई, किन्तु स्वयं लटूरी सिंह— जो एक स्वतन्त्र तथ्य साक्षी है और जो घटना के समय क्या घटित हुआ तथा आक्रामक कौन था, के विषय में प्रत्यक्ष रूप से कह सकता था—की परीक्षा न कराए जाने का कोई सम्यक् कारण नहीं बताया गया। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन ने बिन्नामी सिंह की घटनास्थल पर केवल उपस्थिति के अतिरिक्त कुछ नहीं दर्शाया है, बिना उसे कोई अभिव्यक्त कृत्य सौंपे, जो अभियोजन कथा को समग्र रूप से झुठलाता है; तथा यह त्रुटि, जो एक तात्त्विक बिन्दु पर अभियोजन साक्षियों की विश्वसनीयता से सम्बन्धित है, "एक बात में झूठ, हर बात में झूठ" के सिद्धांत को आकर्षित करती है, ताकि उनके साक्ष्य को शेष अभियुक्तगण के विरुद्ध भी अविश्वसनीय ठहराया जा सके।

अभिकथित हथियारों तथा चिकित्सीय निष्कर्षों का सह-सम्बन्ध:-

26. मौखिक विवरण की विश्वसनीयता को, अभियुक्त-वार, अभिलेख पर वास्तव में पाई गई चोटों के विरुद्ध परखा जा सकता है:-

अभियुक्त / हथियार अभिकथित	सम्बन्धित चिकित्सीय निष्कर्ष	सह-सम्बन्ध
ओम पाल सिंह – बन्दूक।	शव-परीक्षण (प्रदर्श क-2): अनेक छर्चे के प्रवेश घाव, वक्ष गुहा से 14 छर्चे बरामद – एक ऐसा प्रतिरूप जो विशेष रूप से छर्चा-दागने वाली बन्दूक का है, न कि एकल-प्रक्षेप्य तमंचे का।	सुदृढ़ – चोट का प्रतिरूप स्वयं बन्दूक को तमंचे से अलग करता है तथा किसी अन्य को नहीं, केवल इसी हथियार से मेल खाता है।
वेदपाल सिंह – देशी तमंचा।	लटूरी सिंह (प्रदर्श क-3, चोट सं. 1): अग्नयास्त्र चोट, बायीं भुजा।	सुदृढ़ – हथियार के प्रकार तथा एफ.आई.आर. में नामित घायल व्यक्ति का सीधा सह-सम्बन्ध।
ऋषिपाल सिंह तथा खूबचन्द – बल्लम (दो)।	कुमार पाल सिंह (चोट सं. 4) तथा धरमपाल सिंह (चोट सं. 1): दोनों में तीक्ष्ण, अणिदार हथियार यथा बल्लम से संभव होने की राय दी गई।	सामान्यतः संपुष्ट; चिकित्सीय साक्ष्य बल्लम-प्रकार के घावों के कारित होने की पुष्टि करता है, यद्यपि यह पृथक नहीं कर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



		सकता कि दोनों बल्लम-धारकों में से किसने कौन सा घाव किया।
उमराव सिंह – टाबल।	सूचनादाता प्रेम पाल सिंह (चोट सं. 1): छिन्न घाव, संभवतः धारदार हथियार से।	अनिश्चित – टाबल इस प्रकार का छिन्न घाव उत्पन्न करने में सक्षम है, किन्तु यह सह-सम्बन्ध उपर्युक्त अग्नयास्त्र चोटों जितना विशिष्ट नहीं है।
बिन्नामी सिंह – लाठी।	कोई नहीं। किसी भी परीक्षित चार व्यक्तियों में से किसी पर भी ठोकर/खरोंच – जो सामान्यतः कुन्द हथियार से उत्पन्न चोट है – नहीं पाई गई।	कोई नहीं।

27. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्तों के कथन धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलिखित किए गए। सभी ने अभियोजन साक्ष्य से इनकार किया। उनका सामान्य आधार यह था कि विवादित भूमि उनकी थी, सूचनाकर्ता पक्ष के, जिनकी संख्या लगभग एक दर्जन बताई गई और जो बल्लम, सूजा, बंदूक तथा देशी तमंचों से लैस थे, लोग उस पर जबरन कब्जा करने आए थे और धर्मेन्द्र पाल ने बंदूक से गोली चलाई थी जो बंटू उर्फ जितेन्द्र को लगी जिससे उसकी मृत्यु हो गई, तथा उमराव सिंह द्वारा उसी घटना के संबंध में दर्ज कराई गई प्रति-प्रथम सूचना रिपोर्ट में विवेचना अधिकारी और सूचनाकर्ता पक्ष की मिलीभगत के कारण अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई, जिसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष परिवाद लंबित है। इस सामान्य आधार के अतिरिक्त अभियुक्तों ने निम्नलिखित व्यक्तिगत अभिवचन लिए:-

- उमराव सिंह: कथन किया कि धर्मपाल द्वारा चलाई गई गोली से बंटू को अकस्मात् चोट लग गई तथा उसी गोलीबारी में ओम पाल सिंह (उसके पुत्र) को भी अग्नयास्त्र की चोट आई; मिथ्या रूप से फँसाए जाने का अभिवचन किया।
- वेदपाल सिंह: घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति से इनकार किया और कहा कि अभियोजन साक्षियों ने झूठा कथन किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iii) ऋषिपाल सिंह: अपनी संलिप्तता से इनकार किया, यह दोहराया कि सूचनाकर्ता पक्ष ने भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया था तथा कथन किया कि वह, ओम पाल सिंह और उनके पिता उमराव सिंह स्वयं घायल हुए थे और बंटू की मृत्यु धर्मपाल द्वारा चलाई गई गोली से हुई।

(iv) ओम पाल सिंह: अपने विरुद्ध साक्ष्य से इनकार किया और अपने फँसाए जाने का कारण गाँव की रंजिश बताया तथा अभियोजन साक्षियों को एक-दूसरे का संबंधी एवं हितबद्ध बताया।

(v) बुद्धि सिंह: अपने विरुद्ध साक्ष्य से इनकार किया और कथन किया कि उसे मिथ्या रूप से इसलिए फँसाया गया है क्योंकि वह उमराव सिंह द्वारा संस्थित मामले में साक्षी था।

(vi) बिन्नामी सिंह: अन्यत्र उपस्थिति (एलिबी) का अभिवचन किया, यह कथन करते हुए कि घटना के समय वह अपनी ससुराल में था तथा उसे मिथ्या रूप से इसलिए फँसाया गया है क्योंकि उसके पिता खुबचंद उमराव सिंह द्वारा संस्थित मामले में साक्षी थे।

28. धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षित किए गए अभियुक्त से यह अपेक्षित नहीं है कि वह अपने बचाव को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करे, अपितु केवल संभावनाओं की प्रबलता से; यह कथन अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निष्पक्ष विचारण के संवैधानिक अधिकार का एक पहलू है और न्यायालय को इस पर समुचित रूप से विचार करना चाहिए तथा अभिलिखित कारणों से इसे या तो स्वीकार करना चाहिए अथवा अस्वीकार करना चाहिए (*रीना हजारिका बनाम असम राज्य, 2018 आईएनएससी 1029*)। जहाँ तक बिन्नामी सिंह द्वारा लिए गए अन्यत्र उपस्थिति के विशिष्ट अभिवचन का संबंध है, उसे स्थापित करने का भार पूर्णतः उसी पर है, और वह भी ऐसी निश्चितता के साथ कि घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति की संभावना पूर्णतः अपवर्जित हो जाए – मात्र संभावनाओं की प्रबलता पर्याप्त नहीं है (*बिनय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, (1997) 1 एस सी सी 283*)।

29. बचाव में अभियुक्तों ने दो साक्षियों का परीक्षण कराया। डी.डब्ल्यू.-1 लजपत सिंह ने 6 अगस्त, 1987 को अपराहन 1:00 बजे उमराव सिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति सिद्ध की, जो प्रति-वाद के संबंध में थाना पटवाई में धारा 147, 148, 149, 307

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



एवं 323 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 101/1987 के रूप में पंजीकृत हुई थी। डी.डब्ल्यू.-2 डॉ. ए. के. गर्ग, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, रामपुर, ने कथन किया कि 6 जुलाई, 1987 को उन्होंने राम सिंह के पुत्र उमराव, आयु 70 वर्ष, निवासी ग्राम मैया नगला, थाना पटवाई का चिकित्सीय परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट को प्रति-वाद (पत्रावली संख्या 179/89) के प्रदर्श ख-2 के रूप में सिद्ध किया, जिसमें दो ताजा चोटें अंकित थीं:-

क्र.सं.	विवरण	स्थान	संभावित हथियार	चोट की आयु
1	कटा हुआ घाव, 2.5 x 0.5 सेमी., मांसपेशी तक गहरा, निचले जबड़े के कोण के निकट	गर्दन का दायाँ भाग	धारदार हथियार	ताजा
2	फटा हुआ घाव 2 x 5 सेमी., मांस तक गहरा, सिर के पिछले भाग पर	सिर	कुंद वस्तु (जैसे लाठी)	ताजा

30. उसी दिन अपराहन 3.20 बजे उन्होंने उमराव के पुत्र ओम पाल सिंह, आयु 25 वर्ष, उसी गाँव के निवासी का परीक्षण किया, जिसके शरीर पर पाँच चोटें पाई गईं (प्रदर्श ख-3 के रूप में सिद्ध):-

क्र.सं.	विवरण	स्थान	संभावित हथियार	चोट की आयु
1	कटा हुआ घाव, 3 x 0.5 सेमी., मांसपेशी तक गहरा, सिर के पिछले भाग पर	सिर	कठोर एवं कुंद वस्तु	ताजा
2	नीलगू निशान/कंटूजन, 4 x 3 सेमी.	बायाँ ओर, कोहनी से 4 सेमी. ऊपर	कठोर एवं कुंद वस्तु	ताजा
3	कटा हुआ एवं भेदक घाव, 1/3 x 1/3 x 3 सेमी. गहरा	बाईं बाँह का बाहरी भाग, बाईं कोहनी से 3 सेमी. ऊपर	नुकीली, भेदने वाली वस्तु	ताजा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



क्र.सं.	विवरण	स्थान	संभावित हथियार	चोट की आयु
4	अग्नेयास्त्र की एकाधिक चोटें, 1/3 x 1/3 x गहराई की जाँच नहीं की गई – एक्स-रे की सलाह दी गई।	बाएँ घुटने एवं जाँघ का बाहरी भाग, लगातार	कठोर एवं कुंद वस्तु	ताजा
5	नीलगू निशान/कंटूजन, 3 सेमी. x 3 सेमी., पीठ पर	दाईं ओर कंधे के पिछले क्षेत्र	कठोर एवं कुंद वस्तु	ताजा

31. सभी चोटों को निगरानी में रखा गया। उसी दिन अपराह्न 3:10 बजे उन्होंने उमराव सिंह के पुत्र ऋषिपाल सिंह, आयु 18 वर्ष, का परीक्षण किया, जिसके शरीर पर एक चोट पाई गई – कान के भीतरी भाग से 7 सेमी. ऊपर फटा हुआ घाव, 4 सेमी. x [माप अभिलेख पर नहीं] – जिसे प्रदर्श ख-4 के रूप में सिद्ध किया गया।

32. डॉ. गर्ग के अनुसार, तीनों घायलों – उमराव सिंह, ओम पाल सिंह और ऋषिपाल सिंह – की चोटें 6 जुलाई, 1987 को लगभग प्रातः 10.00 बजे संभव थीं।

33. जहाँ एक ही घटना से प्रति-वाद उत्पन्न होते हैं, वहाँ उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उनका विचारण, जहाँ तक व्यावहारिक हो, उसी न्यायाधीश द्वारा किया जाए, जो प्रथम वाद में तर्क सुनकर निर्णय सुरक्षित रखेगा, तत्पश्चात् प्रति-वाद में साक्ष्य अभिलिखित करेगा एवं तर्क सुनेगा, और उसके उपरांत दोनों निर्णय सुनाएगा, प्रत्येक वाद का निर्णय केवल उसी वाद में अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर करेगा, अन्य वाद में अभिलिखित साक्ष्य या तर्कों से प्रभावित हुए बिना **(नाथी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1990 एसयूपीपी एससीसी 145)**।

34. साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से तर्क सुने। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत, उसने विरचित आरोपों को सिद्ध माना और अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया, जैसा कि भाग-I में उल्लिखित है।

35. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने उनकी घटना में संलिप्तता से इनकार किया है और निवेदन किया है कि उन्हें मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि सूचनाकर्ता लगभग बारह अन्य व्यक्तियों के साथ अपीलार्थीगण के कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा करने आया था; उमराव सिंह और उसके परिवार ने इस प्रयास का प्रतिरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



हाथापाई हुई; धर्मपाल, जो बंदूक से लैस था, ने वह गोली चलाई जिससे जितेन्द्र उर्फ बंटू की मौके पर ही मृत्यु हो गई; और उमराव सिंह तथा उसके परिवार के सदस्य स्वयं भी घटना में घायल हुए। निवेदन है कि उन्होंने उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जो मुकदमा अपराध संख्या 101/1987 के रूप में धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत पंजीकृत हुई, किंतु विवेचना पूर्ण होने पर पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिसके विरुद्ध सूचनाकर्ता की विरोध याचिका को परिवाद संख्या 179/1989, उमराव सिंह बनाम धर्मपाल सिंह, में परिवर्तित कर दिया गया, जो अब विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है।

36. आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज की गई, जिसका कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं है; यह पुलिस अधीक्षक की सहायता से दर्ज कराई गई, न कि सूचनाकर्ता के स्वयं थाने में उपस्थित होने पर; और यह प्रकरण में प्रशासनिक हस्तक्षेप को प्रतिबिंबित करता है।

37. विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया है और तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में लगा समय इस कारण था कि सूचनाकर्ता एवं उसके परिवारजनों को अपनी चोटों के उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती होना पड़ा तथा सूचनाकर्ता ने जैसे ही संभव हुआ, लिखित प्रार्थना पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया, जो प्रदर्श क-13 के रूप में सिद्ध है। निवेदन है कि थाना पटवाई जिला चिकित्सालय से लगभग 10 कि.मी. दूर था, सूचनाकर्ता अपने प्राणों के भय के कारण थाने वापस नहीं गया, और अपने संबंधियों के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में पुलिस अधीक्षक से सीधे संपर्क करना अधिक युक्तियुक्त मार्ग था।

38. आगे निवेदन है कि यदि मामला वास्तव में अपीलार्थीगण के पक्ष में होता, तो विवेचना अधिकारी प्रति-वाद में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता; अपीलार्थीगण द्वारा आधार बनाई गई चोटें गढ़ी हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि ओम पाल सिंह की अग्नेयास्त्र की चोट जाँघ पर है और भेदक घाव बाँह पर है, शरीर के किसी मर्मस्थल पर कोई चोट नहीं है; और इसी कारण पुलिस ने सूचनाकर्ता के कथन के आधार पर आरोप-पत्र प्रस्तुत करना उचित नहीं समझा। यह भी निवेदन है कि विवेचना अधिकारी ने खतौनी (राजस्व) प्रविष्टियों को प्रदर्श क-17 एवं क-18 के रूप में सिद्ध किया है, जिनसे यह प्रकट होता है कि सूचनाकर्ता का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित था और घटना की तिथि को वह विवादित भूमि पर काबिज एवं काश्तकार था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



39. आगे निवेदन है कि अभियुक्त उमराव सिंह, ओम पाल सिंह और ऋषिपाल सिंह की चोट रिपोर्टों के अवलोकन पर, उन पर पाई गई कोई भी चोट प्राणघातक नहीं थी। यद्यपि विवेचना अधिकारी ने मुकदमा अपराध संख्या 101/1987 (प्रति-वाद) में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उमराव सिंह का परवर्ती परिवाद संज्ञान में लिया गया, तथापि अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह दर्शित हो कि सूचनाकर्ता या उसके पक्ष के अन्य घायल व्यक्तियों का कभी विचारण हुआ अथवा सूचनाकर्ता प्रेमपाल सिंह की रिपोर्ट पर संस्थित सत्र विचारण वाद के साथ संयुक्त रूप से विचारित होने हेतु वाद सुपुर्द किया गया। यह इंगित किया गया है कि घटना 6 जुलाई, 1987 को लगभग प्रातः 8:00 बजे घटित हुई और घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय ले जाया गया तथा सूचनाकर्ता के भतीजे बंटू उर्फ जितेन्द्र की घटना में मृत्यु हो गई, जबकि उमराव सिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्रति-प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन 13:00 बजे अभिलिखित की गई। उमराव सिंह पक्ष के घायलों का चिकित्सीय परीक्षण उसी दिन बाद में ही हुआ, और उनकी चोटें शरीर के अमर्मस्थलों पर होने के कारण उनके वास्तविक उद्गम के बारे में संदेह उत्पन्न करती हैं, ऐसा निवेदन है; यह निवेदन किया गया है कि विचारण न्यायालय ने स्वयं ही यह अविश्वास किया कि वे इस घटना में कारित हुई थीं। जहाँ किसी अभियुक्त को उसी घटना में चोटें आई दर्शित हों, वहाँ उन चोटों का अभियोजन द्वारा स्पष्टीकरण न दिया जाना सामान्यतः एक महत्वपूर्ण त्रुटि है जो घटना के वास्तविक उद्गम एवं उत्पत्ति के दमन का संकेत दे सकती है, एक ऐसा विचार जो तब और अधिक महत्व ग्रहण कर लेता है जहाँ साक्षी हितबद्ध हों और बचाव पक्ष का कथानक संभाव्यता में अभियोजन के कथानक से प्रतिस्पर्धा करता हो। तथापि, यह सिद्धांत उसी बल के साथ लागू नहीं होता जहाँ अभियुक्तों की चोटें मामूली या ऊपरी हों, अथवा जहाँ अभियोजन का साक्ष्य अन्यथा इतना स्पष्ट, विश्वसनीय, निष्पक्ष और भरोसेमंद हो कि वह इस लोप पर भारी पड़ता हो (**लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य, (1976) 4 एस सी सी 394**), जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण अवलोकन किया है कि “हत्या के मामले में, अभियुक्त के शरीर पर घटना के समय या झगड़े के दौरान आई चोटों का स्पष्टीकरण न दिया जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिससे न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकता है:- (i) कि अभियोजन ने घटना के उद्गम और उत्पत्ति को दबाया है और इस प्रकार सच्चा कथानक प्रस्तुत नहीं किया है; (ii) कि जो साक्षी अभियुक्त के शरीर पर चोटों की उपस्थिति से इनकार करते हैं वे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु पर झूठ बोल रहे हैं और इसलिए उनका साक्ष्य अविश्वसनीय है;

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iii) कि यदि कोई बचाव पक्ष का कथानक है जो अभियुक्त के शरीर पर चोटों का स्पष्टीकरण देता है, तो वह इस प्रकार संभाव्य हो जाता है कि अभियोजन के मामले पर संदेह उत्पन्न हो जाए।”

40. अभियुक्त के शरीर पर चोटों का स्पष्टीकरण देने में अभियोजन की ओर से हुआ लोप तब कहीं अधिक महत्व ग्रहण कर लेता है जहाँ साक्ष्य हितबद्ध या शत्रुतापूर्ण साक्षियों का हो अथवा जहाँ बचाव पक्ष ऐसा कथानक प्रस्तुत करता है जो संभाव्यता में अभियोजन के कथानक से प्रतिस्पर्धा करता हो।

41. क्या उमराव सिंह, ओम पाल सिंह और ऋषिपाल सिंह की चोटें, जिनमें से कोई भी प्राणघातक होना दर्शित नहीं है, तथा क्या उन्हें किसी भी दशा में अभियोजन के इस स्पष्टीकरण द्वारा पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है कि वे तब आई जब कुछ अभियुक्त अपने ही पक्ष के हथियारों से आहत हुए, इसे इस मानक की कसौटी पर परखा जाना चाहिए, साथ ही ऊपर चर्चित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब के प्रतिस्पर्धी स्पष्टीकरण के साथ।

42. यह निवेदन कि प्रति-वाद में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई थी तथा उमराव सिंह का परवर्ती परिवाद, परिवाद संख्या 179/1989, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बार में प्रस्तुत किया गया था, किंतु उसे विचारण में साक्ष्य के रूप में सिद्ध नहीं किया गया। डी.डब्ल्यू.-1 लजपत सिंह ने केवल प्रति-प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति सिद्ध की; परवर्ती अंतिम रिपोर्ट अथवा परिवाद के पंजीकरण एवं लंबित होने को स्थापित करने के लिए कोई साक्षी, दस्तावेज़ या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, और न ही किसी अभियोजन साक्षी अथवा विवेचना अधिकारी का प्रतिपरीक्षा में इन तथ्यों से सामना कराया गया।

43. दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील का निर्णय धारा 386 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर किया जाता है; अधिवक्ता के निवेदन, चाहे कितने ही सशक्त हों, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकते, और विचारण में जो तथ्य कभी स्थापित नहीं किया गया, उसे मात्र इसलिए स्थापित नहीं माना जा सकता कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष तर्क में उसका कथन किया गया है। ऐसे तथ्य पर निर्भर रहना चाहने वाले अपीलार्थी के लिए उचित मार्ग धारा 391 दण्ड प्रक्रिया संहिता का आश्रय लेना है, जो अपीलीय न्यायालय को, न्याय की विफलता को रोकने के लिए आवश्यक होने पर, अतिरिक्त साक्ष्य स्वयं लेने अथवा लिए जाने का निर्देश देने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की शक्ति प्रदान करती है – न कि उस रिक्ति की पूर्ति करने के लिए जिसे भरने का किसी पक्षकार के पास विचारण में पूरा अवसर था (*राजेश्वर प्रसाद मिश्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, एआइआर 1965 एससी 1887*), जबकि, तदनुरूप, अपीलीय न्यायालय को ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने में अनावश्यक रूप से अनिच्छुक नहीं होना चाहिए जो न्यायोचित निर्णय के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हो (*ब्रिगेडियर सुखजीत सिंह (सेवानिवृत्त) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2019 एस सी सी ऑनलाइन एससी 72*)।

44. वर्तमान वाद में, इस न्यायालय ने, यह ध्यान में रखते हुए कि अंतिम रिपोर्ट और परिवाद विचारण में सिद्ध नहीं किए गए थे, अपीलार्थीगण को संबंधित अभिलेख अपने समक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया। उनके अनुरोध पर, संबंधित न्यायालय से परिवाद संख्या 179/1989 का अभिलेख मँगाने हेतु पत्र जारी किए गए; तथापि, अभिलेख के अप्राप्य होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इन परिस्थितियों में अपीलार्थीगण को तत्परता के अभाव के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता – कठिनाई ऐसी नहीं है कि किसी पक्षकार ने ऐसे साक्ष्य को दबाए रखा जिसे वह विचारण में प्रस्तुत कर सकता था, बल्कि दशकों पुराने ऐसे अभिलेख की है जिसे इस न्यायालय की स्वयं की सुविधा से किए गए सद्भावपूर्ण प्रयास के बावजूद अब खोजा नहीं जा सकता।

45. तथापि, अभिलेख का अप्राप्य होना, चाहे उसका कितनी ही तत्परता से पीछा किया गया हो, किसी अप्रमाणित तथ्य को प्रमाणित तथ्य में परिवर्तित नहीं कर देता। परिवाद के अस्तित्व एवं निरंतर लंबित रहने को सिद्ध करने का भार अपीलार्थीगण पर था, जिन्होंने उसका कथन किया है (धारा 101 से 103 साक्ष्य अधिनियम); समय बीतने के साथ किसी पुराने अभिलेख का खो जाना या उपलब्ध न होना सामान्यतः अवर न्यायालयों की अभिलेख-रखरखाव एवं छँटाई की नियमित प्रथाओं के कारण होता है, न कि किसी पक्ष द्वारा दमन के कारण, और यह अपने आप में अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का औचित्य नहीं देता, ठीक वैसे ही जैसे यह बचाव पक्ष के पक्ष में प्रमाण की पूर्ति नहीं कर सकता। इन परिस्थितियों में, अंतिम रिपोर्ट और परिवाद संख्या 179/1989 का लंबित होना अप्रमाणित ही रहता है, और उन पर आधारित निवेदन को इस अपील के प्रयोजनों के लिए स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। यह उस परिवाद के पक्षकारों के इस पृथक् एवं स्वतंत्र अधिकार को प्रभावित नहीं करता कि, यदि उसका अभिलेख

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



खोज लिया जाए अथवा पुनर्गठित किया जाए, तो उस पर उसके अपने गुणदोष के आधार पर विचार किया जाए।

46. तथ्य के साक्षी उमराव सिंह, वेदपाल सिंह, ऋषिपाल सिंह, खुबचंद, बुद्धि सिंह, ओम पाल सिंह और बिन्नामी सिंह की घटना के स्थान एवं समय पर उपस्थिति के अपने वर्णनों में एकमत हैं। उस उपस्थिति से किसी भी अभियुक्त ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने कथनों में इनकार नहीं किया है, और न ही प्रतिपरीक्षा में तथ्य के किसी साक्षी को यह सुझाव दिया गया कि कोई विशिष्ट अभियुक्त अनुपस्थित था। तदनुसार, विचारणीय प्रश्न अभियुक्तों की उपस्थिति से अधिक संकीर्ण है – क्या उन्होंने घातक हथियारों से लैस होकर, साशय एवं बिना किसी उकसावे के, सूचनाकर्ता पक्ष पर हमला किया, जैसा कि अभियोजन का आरोप है, अथवा, जैसा कि बचाव पक्ष का कथन है, क्या सूचनाकर्ता पक्ष ही आक्रमणकारी था, जो अभियुक्तों की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा था।

47. किसी ऐसे साक्षी की गवाही, जो स्वयं उसी घटना में घायल हुआ हो, घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी रखती है और सामान्यतः उसे अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे साक्षी से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह वास्तविक हमलावर को छोड़ देगा और किसी अन्य को मिथ्या रूप से फँसाएगा; उसे बाध्यकारी कारणों के बिना अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए (*अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 10 एस सी सी 259*)। ऊपर जिन व्यक्तियों का चिकित्सीय परीक्षण हुआ, उनमें से चार – लटूरी सिंह, कुमार पाल सिंह, धर्मपाल सिंह और सूचनाकर्ता – स्वयं घटना के अभियोजन साक्षी हैं, और उनके साक्ष्य का मूल्यांकन उसी दृष्टि से किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, यद्यपि चक्षुदर्शी साक्ष्य सामान्यतः चिकित्सीय राय पर प्रभावी होता है, तथापि दोनों के बीच विरोध साक्ष्य के मूल्यांकन में एक प्रासंगिक कारक है, और चक्षुदर्शी वर्णन को केवल तभी अविश्वसनीय ठहराया जा सकता है जब चिकित्सीय साक्ष्य उसे पूर्णतः असंभाव्य बना दे और उसके सत्य होने की संभावना को अपवर्जित कर दे (*अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 10 एस सी सी 259; दरबारा सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एस सी सी 476*)।

48. समग्र रूप से पढ़ने पर, चिकित्सीय साक्ष्य उस प्रत्येक अभियुक्त के संबंध में चक्षुदर्शी वर्णन की पुष्टि करता है जिसका कथित हथियार किसी तदनुरूप चोट से मेल खाता है, और केवल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



बिन्नामी सिंह के संबंध में मौन है। यह चयनात्मक मौन स्वयं चिकित्सीय एवं चक्षुदर्शी साक्ष्य की मिली-जुली विश्वसनीयता को कमजोर करने के बजाय उसका समर्थन करता है: यदि वर्णन गढ़ा गया होता अथवा अभियुक्तों को अत्यधिक फँसाने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया होता, तो प्रत्येक कथित हथियार के तदनुरूप चोटों की अपेक्षा की जाती, न कि ऐसे स्वरूप की जो कुछ आरोपों की निकट से पुष्टि करता है जबकि एक को असमर्थित छोड़ देता है।

49. सूचनाकर्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 6 जुलाई 1987 को लगभग प्रातः 6.00 बजे वह सरकार द्वारा उसके परिवार को आवंटित खेतों में हल चलाने गया था। सुबह के काम के बाद जब वे अमरुद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी अभियुक्त घातक हथियारों से लैस होकर आए और उन पर हमला कर दिया। उसके भतीजे जितेन्द्र उर्फ बंटू को अभियुक्त ओम पाल सिंह ने गोली मारी और वह मौके पर ही मर गया। इस वर्णन की पुष्टि, हथियार-दर-हथियार, ऊपर सहसंबद्ध किए जा चुके चिकित्सीय साक्ष्य से होती है: बंटू की मृत्यु करने वाला बंदूक की गोली का घाव, लटूरी सिंह पर अग्नेयास्त्र की चोट, तथा कुमार पाल सिंह और धर्मपाल सिंह पर बल्लम जैसे घाव – इनमें से प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी नामित अभियुक्त को आरोपित हथियार से मेल खाता है। सूचनाकर्ता के सिर की खाल का घाव उमराव सिंह को अभिकथित धारदार तबबल से संगत है। जहाँ तक लटूरी सिंह का परीक्षण न किए जाने का प्रश्न है, अभियोजन एक ही बिंदु पर साक्षियों की संख्या बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं है, और किसी उपलब्ध साक्षी का परीक्षण न किया जाना केवल तभी घातक होता है जब वह अभियोजन मामले में कोई वास्तविक रिक्ति छोड़ दे – जहाँ कोई ऐसा महत्वपूर्ण साक्षी रोक लिया गया हो जो अकेला घटना की उत्पत्ति को उजागर कर सकता था अथवा उसमें किसी कमी की पूर्ति कर सकता था **(तखाजी हीराजी बनाम ठाकोर कुबेरसिंह चमनसिंह, (2001) 6 एस सी सी 145)**। यहाँ ऐसी कोई रिक्ति उत्पन्न नहीं होती: लटूरी सिंह की उपस्थिति, उसकी चोटें तथा उनका संभावित कारण एवं समय उसकी चोट रिपोर्ट (प्रदर्श क-3) के माध्यम से तथा पी.डब्ल्यू.-4 के एक्स-रे साक्ष्य के माध्यम से स्वतंत्र रूप से न्यायालय के समक्ष हैं, और घटना की उत्पत्ति एवं क्रम का वर्णन पी.डब्ल्यू.-1 एवं पी.डब्ल्यू.-2 द्वारा पृथक् रूप से किया गया है, जो दोनों पूरे समय उसके साथ उपस्थित थे। उसकी गवाही, यदि प्रस्तुत की जाती, तो अधिक से अधिक उन बिंदुओं पर पुनरावृत्तिमूलक होती जो अन्य साक्षियों तथा चिकित्सीय अभिलेख द्वारा पहले ही आच्छादित हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



50. यद्यपि अभियुक्तों ने यह बचाव लिया है कि सूचनाकर्ता पक्ष ही उनके खेत पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा था, तथापि अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा यह दर्शाने के लिए कि खेत उनका था, कोई साक्ष्य, कोई राजस्व अभिलेख, खतौनी प्रविष्टि, अथवा स्वत्व या कब्जे का अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि इसके विपरीत सूचनाकर्ता की अपनी खतौनी प्रविष्टियाँ (प्रदर्श क-17 एवं क-18) उसे काश्त के कब्जे वाले व्यक्ति के रूप में अंकित करती हैं। ऐसा बचाव जो सारतः संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के दावे के समान है, मात्र कथन पर सफल नहीं हो सकता; उसे सिद्ध करने का भार, संभावनाओं की प्रबलता पर, उस अभियुक्त पर है जिसने उसे उठाया है (धारा 105, साक्ष्य अधिनियम), और वह यहाँ प्रथम दृष्टया स्तर तक भी निर्वहन नहीं किया गया है।

51. यहाँ तक कि बचाव पक्ष के कथानक को उसकी उच्चतम सीमा तक मानते हुए भी, कि अभियुक्तों को वास्तव में यह विश्वास था कि भूमि उनकी है, सूचनाकर्ता स्थिर, काश्त के कब्जे में दर्शित है, जो उसे लेखपाल द्वारा पुलिस सहायता से दिलाया गया था (उपर्युक्त भाग-II)। किसी को भी, यहाँ तक कि वास्तविक स्वामी को भी, भूमि के स्थिर कब्जे में किसी व्यक्ति को बलपूर्वक बेदखल करने का अधिकार नहीं है; जब तक विधि की सम्यक् प्रक्रिया द्वारा बेदखल न किया जाए, ऐसा व्यक्ति – यहाँ तक कि अतिचारी भी – अपने उस कब्जे की प्रतिरक्षा करने का हकदार है, और जो व्यक्ति श्रेष्ठतर स्वत्व का दावा करता है उसका उपचार न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटाने में है, न कि बलपूर्वक कब्जा वापस लेने में (*मुंशी राम बनाम दिल्ली प्रशासन, एआइआर 1968 एससी 702; पूरन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1975) 4 एस सी सी 518*)। बचाव पक्ष द्वारा भी अभिकथित तथ्यों पर, जब अभियुक्त पहुँचे तब सूचनाकर्ता पक्ष कब्जा लेने की प्रक्रिया में नहीं था – वे अमरूद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, दिन भर की उनकी जुताई पहले ही हो चुकी थी – इसलिए अभियुक्तों के लिए प्रतिरोध करने हेतु कोई चालू अतिचार नहीं था; जो वर्णित है वह, अधिक से अधिक, बल द्वारा स्थिर स्थिति को बदलने का प्रयास है, जिसे चुनौती देने की अपेक्षा विधि ने अभियुक्तों से राजस्व प्राधिकारियों के समक्ष की थी, न कि बंदूक की नोक पर।

52. न ही हमले के ढंग एवं पैमाने को किसी वास्तविक निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग से समन्वित किया जा सकता है, यह मानते हुए भी कि विधि में ऐसा कोई अधिकार विद्यमान

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



था। सात व्यक्ति एक साथ पहुँचे, जो विविध रूप से एक बंदूक, दो देशी तमंचों, दो बल्लमों, एक तबल और एक लाठी से लैस थे, एक ऐसे समूह के विरुद्ध जो निहत्था और विश्राम की अवस्था में था; एक पीड़ित को गोली मारकर मार डाला गया, एक अन्य को बाँह में अग्नेयास्त्र की चोट आई, और अन्य को फटे एवं कटे घाव आए, जिनमें से एक के साथ फेफड़े की चोट भी थी। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्रतिशोध तक विस्तृत नहीं होता, वह इस अपेक्षा के अधीन है कि आवश्यकता से अधिक अपहानि कारित न की जाए, और उसके अतिक्रमण होने पर वह समाप्त हो जाता है; कारित चोटों की संख्या एवं गंभीरता, शस्त्रों की असमानता, तथा निहत्थे पक्ष की ओर से प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया के अनुरूप सूचनाकर्ता पक्ष पर किसी चोट का अभाव – ये सभी वास्तविक आक्रमणकारी की पहचान के लिए प्रासंगिक हैं (*दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2010) 2 एस सी सी 333*)। इन सिद्धांतों की कसौटी पर, यहाँ वर्णित हमला – जो घातक हथियारों के साथ, संख्या में, विश्राम की अवस्था में अचानक घरे गए व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया – निजी प्रतिरक्षा के प्रयोग के रूप में स्पष्ट नहीं किया जा सकता, चाहे अंततः अंतर्निहित भूमि विवाद के संबंध में कोई भी दृष्टिकोण अपनाया जाए।

53. बिन्नामी सिंह को धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत मात्र दोषसिद्ध किया गया है – धारा 148 के अंतर्गत नहीं, जो उन अपीलार्थीगण के लिए आरक्षित थी, जिन पर अग्नेयास्त्र या भेदक हथियार रखने का आरोप था – और, इसके अतिरिक्त, धारा 307 एवं 302 के अंतर्गत, दोनों धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के साथ पठित। अतः उत्तरवर्ती दो प्रावधानों के अंतर्गत उसका दायित्व पूर्णतः आन्वयिक है: उस पर गोली चलाने या धारदार हथियार चलाने का कोई आरोप नहीं है, और उसकी दोषसिद्धि केवल तभी कायम रह सकती है जब अभियोजन ने यह सिद्ध किया हो कि वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य था और धारा 141 एवं 149 भारतीय दण्ड संहिता के अर्थ में उसके सामान्य उद्देश्य में भागीदार था।

54. अभियोजन का अपना मामला यह है कि बिन्नामी सिंह लाठी से लैस होकर घटनास्थल पर आया था। फिर भी, ऊपर भाग-VI में चर्चित चक्षुदर्शी साक्ष्य की समीक्षा पर, तथ्य के किसी भी साक्षी – पी.डब्ल्यू.-1 प्रेम पाल सिंह, पी.डब्ल्यू.-2 कुंवर पाल सिंह अथवा पी.डब्ल्यू.-3 सुखपाल सिंह – ने उसे घटनास्थल पर उपस्थिति से परे कोई कृत्य आरोपित नहीं किया है; किसी ने यह कथन नहीं किया कि उसने वास्तव में वह लाठी प्रयोग की जो उसके पास बताई जाती है। यह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रिक्ति मात्र लोप की नहीं है: इसकी सकारात्मक पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है, जो परीक्षित चारों व्यक्तियों – अर्थात् लटूरी सिंह, कुंवर पाल सिंह, धर्मपाल सिंह और सूचनाकर्ता – की चोटों को या तो अग्नेयास्त्र या धारदार हथियार के कारण होना अंकित करता है। अभिलिखित चोटों में से एक भी नील नहीं है, जो लाठी जैसे कुंद हथियार से सामान्यतः अपेक्षित चोट होती है। इस प्रकार चिकित्सीय अभिलेख उस एकमात्र प्रकट कृत्य के संबंध में मौन है, और उस सीमा तक उससे असंगत है, जो बिन्नामी सिंह को हमले से जोड़ने में सक्षम हो सकता है।

55. यह सुस्थापित है कि किसी व्यक्तिगत अभियुक्त पर विधिविरुद्ध जमाव की सदस्यता के लिए दायित्व आरोपित करने हेतु दो तत्व स्वतंत्र रूप से स्थापित होने चाहिए: प्रथम, कि वह व्यक्ति जमाव का गठन करने वालों में से एक था, और द्वितीय, कि उसने अन्य सदस्यों के साथ धारा 141 भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित सामान्य उद्देश्य रखा (**मसल्टी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआइआर 1965 एससी 202**)। यद्यपि **मसल्टी** यह भी अभिनिर्धारित करता है कि सदस्यता एवं साझा सामान्य उद्देश्य के स्थापित हो जाने पर प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य के विरुद्ध किसी विशिष्ट प्रकट कृत्य को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है – क्योंकि कोई न्यायालय यथार्थ में किसी साक्षी से यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि वह एक बड़ी एवं अस्थिर भीड़ में प्रत्येक व्यक्ति को कोई पृथक् भूमिका सौंपे – तथापि उसी निर्णय में यह सावधानी भी दी गई है कि विशिष्ट अभियुक्त को जमाव एवं उसके उद्देश्य से जोड़ने वाला कोई स्वीकार्य साक्ष्य, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य, फिर भी अभिलेख पर लाना होगा। प्रकट कृत्य के संबंध में शिथिलता व्यक्तिगत संबंध के संबंध में शिथिलता नहीं है; दोनों विश्लेषणात्मक रूप से भिन्न हैं, और दूसरे को मात्र पहले से उपधारित नहीं किया जा सकता।

56. यह भेद **बालादीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआइआर 1956 एससी 181** से उद्भूत है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि किसी जमाव में मात्र उपस्थिति – यहाँ तक कि वह उपस्थिति भी जिसका स्पष्टीकरण अभियुक्त का घटनास्थल से सटे मकान में रहना हो – अपने आप में किसी व्यक्ति को विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं बना देती, जब तक कि यह दर्शित न किया जाए कि उसने कुछ किया, अथवा कुछ करने का लोप किया, जो उसे सदस्य के रूप में चिह्नित करता है, अथवा जब तक कि मामला धारा 142 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत न आता हो। यद्यपि **मसल्टी** ने यह स्पष्ट किया कि **बालादीन** में की गई इस टिप्पणी को उसके

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपने तथ्यों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए और यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई अपरिमित प्रतिपादन नहीं है, तथापि अंतर्निहित सावधानी कि न्यायालयों को प्रत्येक व्यक्तिगत अभियुक्त के मामले की पृथक्-पृथक् छानबीन करनी चाहिए, ताकि जो व्यक्ति नातेदारी या समीपता के कारण घटनास्थल के निकट होते हैं उन्हें स्वतः ही विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य न ठहरा दिया जाए – अब भी प्रभावी है और बार-बार लागू की गई है, उन मामलों में भी जहाँ अभियुक्त की उपस्थिति का कारण सह-अभियुक्त का संबंधी या पड़ोसी होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं था।

57. वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी बिन्नामी सिंह को मृत्यु एवं घोर उपहति कारित करने के सामान्य उद्देश्य से जोड़ने वाली एकमात्र सामग्री यह आरोप है कि वह लाठी लिए हुए था। यह आरोप चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट नहीं होता; किसी भी पीड़ित – मृतक जितेन्द्र उर्फ बंटू अथवा घायल प्रेम पाल सिंह, कुंवर पाल सिंह, लटूरी सिंह और धर्मपाल सिंह – की कोई चोट चिकित्सा साक्षी डॉ. बी.आर. जायसवाल द्वारा लाठी के प्रहार से संगत किसी कुंद हथियार से कारित होना आरोपित नहीं की गई है। यह सत्य है कि विधि को अभियोजन द्वारा नामित प्रत्येक चोट और प्रत्येक हथियार के बीच यांत्रिक अनुरूपता की आवश्यकता नहीं है, और चक्षुदर्शी साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य के बीच मामूली भिन्नताएँ अपने आप में प्रत्यक्षदर्शी गवाही की प्रधानता को विस्थापित नहीं करतीं (*सोलंकी चिमनभाई उकाभाई बनाम गुजरात राज्य, (1983) 2 एस सी सी 174; दरबारा सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एस सी सी 476*)। किंतु वह सिद्धांत समग्र रूप से घटना की विश्वसनीयता को शासित करता है; वह यहाँ के अधिक संकीर्ण एवं अधिक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं देता – अर्थात्, क्या वह एकमात्र तथ्य, जिस पर किसी विशिष्ट अभियुक्त को जमाव के सामान्य उद्देश्य से जोड़ने के लिए निर्भर किया गया है, स्वयं चिकित्सीय अभिलेख द्वारा झुठलाया जाता है। जहाँ किसी व्यक्तिगत अभियुक्त को सामान्य उद्देश्य से जोड़ने वाला संपूर्ण साक्ष्य साथ में हथियार रखने का एकमात्र आरोप है, और चिकित्सीय साक्ष्य सकारात्मक रूप से किसी भी पीड़ित पर उस विवरण की किसी चोट का निषेध करता है, वहाँ उस आरोप को वह "स्वीकार्य साक्ष्य" नहीं माना जा सकता जिसकी *मसल्टी* में व्यक्तिगत दायित्व आरोपित करने के लिए अपेक्षा की गई है; वह मात्र अप्रमाणित नहीं, बल्कि नकारा गया है।

58. इसे *नरेश उर्फ नेहरू बनाम हरियाणा राज्य, 2023 लाइव लॉ (एससी) 880* में सिद्धांत की हालिया पुनरावृत्ति से बल मिलता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए अभियोजन को साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना होता है कि अभियुक्त ने सामान्य उद्देश्य साझा किया था और वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य था, तथा यह कि उसे इस बात का ज्ञान था कि उस उद्देश्य के अग्रसरण में विचाराधीन अपराध कारित किए जाने की संभावना है। **रॉय फर्नांडिस बनाम गोवा राज्य, (2012) 3 एस सी सी 221, और लालजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1989) 1 एस सी सी 437** पर विश्वास करते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि किसी जमाव का सामान्य उद्देश्य जमाव की प्रकृति, प्रयुक्त हथियारों तथा उसके सदस्यों के घटनास्थल पर एवं उससे पूर्व के आचरण से निकाला जाना चाहिए। तदनुरूप, जहाँ किसी अभियुक्त का उस अंतर्निहित विवाद या शत्रुता में, जिसने जमाव को प्रेरित किया, कोई भाग नहीं दर्शित होता, वहाँ अन्य अभियुक्तों के बीच उसकी मात्र उपस्थिति से उस पर कोई सामान्य उद्देश्य आरोपित नहीं किया जा सकता। यही तर्क यहाँ भी लागू होता है। अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह दर्शित हो कि अपीलार्थी बिन्नामी सिंह अथवा उसके पिता, सह-अभियुक्त खूबचंद, का सूचनाकर्ता उमराव सिंह या उसके पुत्रों के साथ कोई भूमि विवाद या अन्य शत्रुता थी – वही विवाद जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने जमाव के सामान्य उद्देश्य को जन्म दिया। मात्र उपस्थिति, भले ही सिद्ध हो, अपने आप में यह स्थापित नहीं करती कि अपीलार्थी ने मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का सामान्य उद्देश्य साझा किया था, और न ही उस पर वह प्रतिनिधिक दायित्व डाला जा सकता है जिसे धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता केवल उन्हीं पर आरोपित करती है जिनके बारे में व्यक्तिगत रूप से दर्शित हो कि उन्होंने उस उद्देश्य को साझा किया।

59. जहाँ तक अपीलार्थी के इस बचाव का प्रश्न है कि घटना के समय वह अपनी ससुराल में था, यह विधि में अन्यत्र उपस्थिति (एलिबी) का अभिवचन है, और उसे स्थापित करने का भार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 103 के अंतर्गत अभियुक्त पर है (**दूधनाथ पांडेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1981) 2 एस सी सी 166**)। तथापि, वह भार स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं है; वह केवल तभी उत्पन्न होता है और महत्वपूर्ण बनता है जब अभियोजन ने पहले अपने प्रारंभिक एवं स्वतंत्र भार का निर्वहन कर दिया हो, अर्थात् अभियुक्त की विधिविरुद्ध जमाव में भागीदारी और उसके सामान्य उद्देश्य को साझा करने को सिद्ध कर दिया हो। जहाँ अभियोजन का अपना साक्ष्य उस प्रारंभिक स्तर पर ही विफल हो जाता है – जैसा कि यहाँ है, अपीलार्थी को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कोई प्रकट कृत्य आरोपित न होने तथा चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा प्रदान की गई नकारात्मक पुष्टि को देखते हुए – वहाँ यह प्रश्न कि अन्यत्र उपस्थिति स्वतंत्र रूप से स्थापित है अथवा नहीं, निरर्थक (अकादमिक) हो जाता है। अभियोजन, विधि द्वारा अपने ऊपर डाले गए भार का पहले निर्वहन किए बिना, न्यायालय का ध्यान अभियुक्त के प्रमाण-भार की ओर नहीं मोड़ सकता।

60. अतः अभियोजन का यह कर्तव्य है कि, चाहे वह किसी अभियुक्त को घटना के आसपास दर्शित करने में सफल भी हो जाए, वह आगे यह भी स्थापित करे कि उस विशिष्ट अभियुक्त ने विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य साझा किया था। अपीलार्थी बिन्नामी सिंह अभियुक्त खूबचंद का पुत्र है, और यह कहीं भी दर्शित नहीं है कि अपीलार्थी अथवा उसके पिता का, शेष अभियुक्तों पर आरोपित सामान्य उद्देश्य को जन्म देने वाले कहे गए भूमि विवाद से किसी भी प्रकार का संबंध था। इन परिस्थितियों में, चाहे अन्यत्र उपस्थिति स्वतंत्र रूप से स्थापित हो अथवा नहीं, अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि बिन्नामी सिंह ने विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य साझा किया था।

61. तदनुसार, अपीलार्थी बिन्नामी सिंह की धारा 147, 307/149 और 302/149 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि, तथा उसके अंतर्गत अधिरोपित कारावास के दण्डादेश, कायम नहीं रखे जा सकते और अपास्त किए जाते हैं। उसे संदेह का लाभ दिया जाता है और उसे सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वह जमानत पर है; उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, और उसके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

62. जहाँ तक बिन्नामी सिंह का संबंध है, यह निवेदन कि उसे कोई प्रकट कृत्य आरोपित नहीं है, सुस्थापित है और स्वीकार किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी दोषमुक्ति हुई। तथापि, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 के साक्ष्य को शेष अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। सूक्ति (एक बात में मिथ्या, सभी बातों में मिथ्या) भारत में कभी भी साक्ष्य के नियम के रूप में स्वीकार नहीं की गई है। वह, अधिक से अधिक, सावधानी का एक नियम है और उसने विधि के नियम की स्थिति प्राप्त नहीं की है। न्यायालय का कर्तव्य है कि वह भूसे से अनाज को अलग करे, प्रत्येक अभियुक्त के संबंध में किसी साक्षी की गवाही के उतने भाग को स्वीकार करे जितना विश्वसनीय पाया जाए और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



केवल उस भाग को अस्वीकार करे जो विश्वसनीय नहीं है (राजस्थान राज्य बनाम कल्की, (1981)

2 एस सी सी 752; उगर अहीर बनाम बिहार राज्य, एआइआर 1965 एससी 277)।

63. दोषसिद्धि के विरुद्ध प्रथम अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय संपूर्ण साक्ष्य का स्वयं पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बाध्य है और, जहाँ किसी विशिष्ट अभियुक्त से संबंधित सामग्री पर दो दृष्टिकोण युक्तियुक्त रूप से संभव हों, वहाँ विचारण न्यायालय से भिन्न दृष्टिकोण अपना सकता है (लाल मंडी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1995) 3 एस सी सी 603)। उस मानक को लागू करने पर, और बिन्नामी सिंह के मामले के विपरीत, अभिलेख शेष तीन अपीलार्थीगण के संबंध में तुलनीय साक्ष्यगत रिक्ति प्रकट नहीं करता।

64. अपीलार्थी ओम पाल सिंह एकमात्र अपीलार्थी है जिसे धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के बजाय सारतः धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि किया गया है, इस विशिष्ट आरोप पर कि उसने वह घातक गोली चलाई जिससे बंटू उर्फ जितेन्द्र की मृत्यु हुई। इस कथानक की पुष्टि पी.डब्ल्यू.-1, सूचनाकर्ता, जो स्वयं एक घायल साक्षी है और जिसके वर्णन का पर्याप्त साक्ष्यिक महत्व है, द्वारा की गई है, साथ ही शव-परीक्षण के निष्कर्षों से भी, जिनमें वक्ष-गुहा से चौदह छर्बे बरामद होना प्रकट होता है, जो शरीर पर अंकित बहु-छर्बा प्रवेश घाव से संगत है और वेदपाल सिंह एवं बुद्धि सिंह को आरोपित देशी तमंचों के बजाय ओम पाल सिंह को आरोपित प्रकार के अग्नेयास्त्र ("बंदूक") के तदनुरूप है। धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने कथन में, ओम पाल सिंह ने घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति से इनकार नहीं किया, अपितु अपने बचाव को गाँव की रंजिश के एक अविशिष्ट अभिवचन पर आधारित किया। उसकी चोटें, जिनके बारे में अभियोजन का स्पष्टीकरण है कि वे तब आई जब बुद्धि सिंह की गोली अकस्मात् उसे लग गई, अभियोजन के मामले को कम नहीं करतीं। इस अभिलेख पर, ओम पाल सिंह की धारा 148, 307/149 और 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि असुरक्षित होना दर्शित नहीं है और तदनुसार उसकी पुष्टि की जाती है।

65. अपीलार्थी वेदपाल सिंह पर देशी तमंचे से लटूरी सिंह पर गोली चलाने का आरोप है। लटूरी सिंह के चिकित्सीय अभिलेख बाएँ हाथ के एक पर्याप्त क्षेत्र पर अग्नेयास्त्र की चोट प्रकट करते हैं, जो इस आरोप से संगत है। लटूरी सिंह, जो स्वयं एक घायल साक्षी है, ने वेदपाल सिंह का नाम बिना किसी शत्रुता या उसे मिथ्या रूप से फँसाने के प्रत्यक्ष हेतु के लिया है। धारा 313 दण्ड

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने कथन में, वेदपाल सिंह ने कोई विशिष्ट अन्यत्र उपस्थिति नहीं ली, अपितु अपनी उपस्थिति का मात्र सादा खंडन किया, यह कथन करते हुए कि साक्षियों ने झूठा बयान दिया है। ऐसा सादा खंडन तदनुरूप अग्नेयास्त्र चोट से पुष्ट प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्ष्य को विस्थापित नहीं करता। वेदपाल सिंह की धारा 148, 307/149 और 302/149 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।

66. अपीलार्थी ऋषिपाल सिंह पर *बल्लम* से लैस होने का अभिकथन है। बिन्नामी सिंह की लाठी की स्थिति के विपरीत, चिकित्सीय साक्ष्य इस प्रकार के तीक्ष्ण, नुकीले हथियार से संगत चोटें प्रकट करता है। कुमार पाल सिंह की चोट संख्या 4 तथा धर्मपाल सिंह की चोट, दोनों के बारे में अभिमत था कि वे *बल्लम* जैसे नुकीले हथियार से संभव हैं। अतः हथियार के संबंध में आरोप अभिलेख पर असमर्थित नहीं रह जाता, यद्यपि दोनों में से किसी विशिष्ट घाव को व्यक्तिगत रूप से ऋषिपाल सिंह को, प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित दूसरे बल्लमधारी खुबचंद से पृथक्, आरोपित करना संभव नहीं है। धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने कथन में, ऋषिपाल सिंह ने घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति से इनकार नहीं किया। वस्तुतः, उसने उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, यह कथन करते हुए कि वह, ओम पाल सिंह और उमराव सिंह स्वयं उसी घटना में घायल हुए थे और बंदू की मृत्यु धर्मपाल द्वारा चलाई गई गोली से हुई। इस प्रकार उसका बचाव घटना के उद्गम एवं औचित्य से संबंधित है, न कि उसकी उपस्थिति अथवा विधिविरुद्ध जमाव की सदस्यता से। **मसल्टी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (उपरोक्त)** को लागू करते हुए, उसकी स्वीकृत उपस्थिति तथा हमले के दौरान बल्लमों के पुष्ट प्रयोग का संयोजन उसे विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य से जोड़ने वाला पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य गठित करता है। ऋषिपाल सिंह की धारा 148, 307/149 और 302/149 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।

67. ऊपर अभिलिखित कारणों से:-

(i) अपील अपीलार्थी संख्या 7 बिन्नामी सिंह पुत्र खुब चंदी के संबंध में **स्वीकार** की जाती है। धारा 147, 307/149 तथा धारा 302/149 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत उसकी दोषसिद्धि, तथा उसके अंतर्गत अधिरोपित दण्डादेश, अपास्त किए जाते हैं और उसे संदेह का लाभ प्रदान करते हुए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वह जमानत पर है; उसे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, और उसके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

(ii) अपील अपीलार्थी संख्या 2 वेद पाल, अपीलार्थी संख्या 4 ऋषि पाल पुत्र उमराव सिंह तथा अपीलार्थी संख्या 6 ओम पाल सिंह पुत्र उमराव सिंह के संबंध में **खारिज** की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित उनकी दोषसिद्धियों एवं दण्डादेशों की पुष्टि की जाती है।

(iii) चूँकि अपीलार्थी संख्या 1 उमराव सिंह पुत्र रूप सिंह, अपीलार्थी संख्या 3 खुब चंद्र उर्फ खुब चंदी पुत्र भूप सिंह तथा अपीलार्थी संख्या 5 बुद्धि सिंह पुत्र खुब चंदी की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण अपील **उपशमित** होने से खारिज की जाती है। चूँकि उनके निकट संबंधियों द्वारा उनके विरुद्ध अपील की सुनवाई जारी रखने हेतु धारा 394(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के परंतुक के अंतर्गत निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उनके संबंध में कोई आदेश पारित करना अपेक्षित नहीं है।

(iv) अपीलार्थी संख्या 2 वेद पाल, अपीलार्थी संख्या 4 ऋषि पाल पुत्र उमराव सिंह तथा अपीलार्थी संख्या 6 ओम पाल सिंह पुत्र उमराव सिंह, जो जमानत पर हैं, को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दण्डादेशों का शेष भाग भुगतने के लिए तत्काल विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करें, ऐसा न करने पर विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उनकी अभिरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समुचित कदम उठाएगा।

(v) अवर न्यायालय का अभिलेख, इस निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित, अनुपालन हेतु तत्काल विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाए।

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा)

7 अगस्त, 2026

ज़फ़र

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”